प्रेषक,

निदेशक,
(प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 79 /चारा/3डी–60/2017–18, दिनांक : 02-05-2017

विषय– **वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल लाइवस्टाक मिशन के अन्तर्गत चारा एवं चारागाह विकास योजना (अनु0सं0–15) के अधीन प्रदेश में ग्राम पंचायतों की परती (वेस्टलैण्ड)/गोचर भूमि/क्षरित वन भूमि (degraded forest land) पर चारागाह विकास की योजना के संचालन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल लाइवस्टाक मिशन अन्तर्गत चारा एवं चारागाह विकास की योजना (अनु0सं0–15) के अधीन प्रदेश में ग्राम पंचायतों की परती (वेस्टलैण्ड)/गोचर भूमि/क्षरित वन भूमि (degraded forest land) पर चारागाह विकास की योजना संचालित किये जाने हेतु रू0 200.00 लाख धनराशि का निर्धारण किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी विकास खण्डों में स्थित परती भूमि (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि/क्षरित वन भूमि (degraded forest land) पर उन्नतिशील चारागाह विकसित कर उत्तम गुणवत्तायुक्त हरा चारा उत्पादित करके पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उक्त धनराशि का निर्धारण किया गया है। ग्राम पंचायत की परती (वेस्टलैण्ड)/गोचर भूमि/क्षरित वन भूमि (degraded forest land) पर **चारागाह विकसित किया जाना वर्तमान (केन्द्र/राज्य) सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है।**

अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से संबंधित ग्राम पंचायतों में परती (वेस्टलैण्ड)/गोचर भूमि/क्षरित वन भूमि (degraded forest land) हेतु आरक्षित उपलब्ध भूमि की सूचना जिस पर चारागाह विकसित कराया जा सके, राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर अधोहस्ताक्षरी को ई–मेल/फैक्स द्वारा तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रश्नगत योजना का सुसंगत प्रस्ताव तैयार कर तत्काल केन्द्र/राज्य सरकार को प्रेषित की जा सके। उक्त कार्य में शिथिलता क्षम्य नही होगी।

भवदीय,

(डा0 सी0एस0 यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /चारा/3डी–60/2017–18, दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर निदेशक(ग्रेड–2), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि शासन स्तर से भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।
5. विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 सी0एस0 यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

genral docu. 2016-17